

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प कुडिया

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कुडिया
व भूअ.नि. गिलुण्ड की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब
तहसीलदार गिलुण्ड की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कुडिया तहसील रेलभंगरा
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् २०७७ से (२०१५) में खाता संख्या ५५ में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

| क्र.सं. | ग्राम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|---------|--------|-------------|--|--|
| 1 | कुडिया | ५५ | किशनलाल पिठ मांगीलाल जाट SBBJ शाखा गिलुण्ड | किशनलाल पिठ मांगीलाल जाट SBI शाखा गिलुण्ड |

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
रेलभंगरा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रेलभंगरा

क्रमांक:- 337

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

दिनांक :- 11/10/25

उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी
रेलभंगरा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,